# निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
## गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.
12/24
प्रेम देवी वगै0

तारीख रजु
13.05.2024
बनाम

तारीख निर्णय
04-5-26
कमलेश वगै0

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्रराज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा**
**प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 सीपीसी**

उपस्थित – श्री कुशमंगल एडवोकेट वादीगण की और से।
श्री दिलीप पेंगोरिया एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से इस आशय का पेश किया है कि खसरा नं. 206 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नं. 716 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नं. 823 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 824 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 825 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 827 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 828 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 829 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 830 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नं. 831 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 914 रकबा 0.75 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर स्थित ग्राम नारायणपुर तह. तलावड़ा में वादीगण के पिता व पति का 1/3 हिस्सा होने की घोषणा का दावा पेश किया है। जबकि वादीगण के पिता व पति घनश्याम पुत्र सुरजमल 30 वर्षो से लापता होने का कथन किया है। तथा मृत्यु की घोषणा करना का कथन किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्र अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही है वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है दावा वादीगण वार्ड वाइज होने के कारण निरस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के प्रावधान वाद पत्र पर लागू नही होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कथन अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष वकिल सुनी गयी।

पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने स्वंय अपने वादपत्र के मद नम्बर 2 में कथन किया है कि वादीगण के पिता व पति का पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से पता नही है। अर्थात व लापता है इसलिए उन्हे मृतक माना जाकर विवादित भूमि की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा मद नम्बर 2 के संदर्भ में ही वादपत्र के अनुतोष में भी वादीगण द्वारा मृतक घनश्याम पुत्र सुरजमल मीना के मृतक घोषित करने व उसकी विरासत का नामान्तकरण वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा एक 30 वर्ष से लापता व्यक्ति को मृत घोषित कराने के अनुतोष के साथ विरासत के नामान्तकरण का अनुतोष चाहा गया है। जबकि किसी भी लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। इसलिए दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में रिजेक्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बृजेन्द्र मीना )
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested